

डिक्री बमुकदमे ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-भीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-39/2019

श्रीमती मन्जू पत्नी डॉ० राजेश कुमार उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी श्योदानपुरा
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—वादीया

बनाम

राजेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ भीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री. जगदीश प्रसाद शर्मा, वकील
वादी भिन जाभिन मुदई श्री कुन्दनलाल, प्रतिवादीया भिन जानिब मुदायता पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीया चक नम्बर 22 के
एन.एन. जमाबंदी सम्बत् 2075-78 खाता संख्या- 95 प0न0 275/372 (9)
कि0न0 1/1/0.215 है0, 1/2/0.038 हे0, 2/1/0.215 है0, 2/2/0.
038, 9 से 12/1.012 है0, 18/1/0.126 है0, 19 से 23/1.265 है0, कुल
तादादी 2.909 है0 कृषि भूमि की खातेदार कास्तकार है, इसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड में अमलदरामद की जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमे
के मय शुद वा शरह फीसदी सात्वाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 04 जून 2019 को
न्यायालय में जारी किया गया।

(भीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी